

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर
कार्यालय-आदेश

निम्नांकित व्याख्याता को विदेश यात्रा हेतु अनुमति स्वयं के खर्चे पर निम्नांकित शर्तों के अधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:-

क्र. सं.	कार्मिक का नाम	जन्म तिथि	विषय	पदस्थापन स्थान	विदेश यात्रा अवधि	विदेश यात्रा हेतु प्रस्तावित स्थान
1	NASEEM ANSARI	25.01.1964	HISTORY	G555 MAL KI TOOS, VALLAABHNAGAR-UDAIPUR	दिनांक: 21.05.2023 से 20.07.2023 तक कुल 60 दिवस	SAUDI ARABIA

- कार्मिक सक्षम अधिकारी से अपना अवकाश स्वीकृत करवाये जाने के पश्चात् ही विदेश यात्रा पर प्रस्थान करेंगे।
- कार्मिक विदेश में स्वीकृत अवधि से अधिक नहीं ठहरेंगे, अवकाश समाप्ति पश्चात् अपने कर्तव्य स्थान पर उपस्थिति प्रदान किया जाना सुनिश्चित करेंगे। स्वीकृत अवकाश अवधि के पश्चात् यदि कार्मिक अपने कर्तव्य स्थान पर अनुपस्थित रहती/रहता है तो उक्त कार्मिक को कर्तव्य से जानबुझकर अनुपस्थित रहा मान जायेगा एवं उसके विरुद्ध आर.एस.आर. 1951 के नियम 86 के प्रावधानान्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जाकर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- एक बार में स्वीकृत अवकाश में वृद्धि नहीं की जायेगी।
- विदेश से भिजवाया गया त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- सक्षम अधिकारी विदेश यात्रा हेतु अवकाश स्वीकृत से पूर्व निम्नांकित की पुष्टि अनिवार्य रूप से कर लेंगे:-
 - कार्मिक के अवकाश पर जाने से कार्यालय/संस्थान का राजकीय कार्य/शिक्षण कार्य प्रभावित नहीं होगा।
 - कार्मिक द्वारा अपना कार्यभार एवं महत्वपूर्ण दस्तावेजों का हस्तांतरण पूर्ण रूप से कर दिया गया है।
 - कार्मिक के विरुद्ध तत्समय कोई विभागीय जांच/कार्यवाही प्रस्तावित अथवा विचाराधीन नहीं है।
 - कार्मिक के विरुद्ध तत्समय कोई न्यायिक प्रकरण लम्बित/विचाराधीन नहीं है।
- विदेश यात्रा की अनुमति उक्त स्वीकृत अवकाश अवधि हेतु ही मान्य है।
- विदेश यात्रा पर प्रस्थान करने से पूर्व संबंधित कार्यालय को विदेश प्रवास में ठहरने का पूर्ण पता मय मोबाइल नंबर आदि सूचित करेंगे।
- विदेश यात्रा हेतु अथवा विदेश यात्रा के दौरान राज्य सरकार के माध्यम से कोई विदेशी विनिमय नहीं किया जावेगा एवं न ही राजकीय स्त्रोत से विदेशी मुद्रा उपलब्ध करवाई जायेगी।
- विदेश यात्रा के दौरान कार्मिक द्वारा किया गया किसी प्रकार का अध्ययन/व्यवसाय/नियोजन स्वीकार नहीं किया जावेगा।
- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों की पूर्ण पालना की जायेगी।
- विदेश यात्रा के दौरान किसी राजकीय अभिलेख/सूचना की गोपनीयता भंग नहीं की जायेगी।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक- शिविरा/मा/संस्था/सी-2/विदेश अनुज्ञा/इति-वाणि/2022 दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- संबंधित संयुक्त निदेशक/मुख्य जिला/ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा
- सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
- संबंधित प्रधानाचार्य, को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित कार्मिक द्वारा आवेदन अवकाश प्रार्थना पत्र नियमानुसार स्वीकृत कर विदेश यात्रा हेतु प्रस्थान करावें, साथ ही यह सुनिश्चित करें कि विद्यालय में शिक्षण कार्य प्रभावित न हो।
- संबंधित कार्मिक

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

Signature valid

Digitally signed by Arvind Kumar Vyas
Designation : Joint Director Personnel
Date: 2023.05.09 16:40:49 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3800331

